

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व समाप्ता

भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सरेडी पटवार हल्का समाप्ता तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बत् 2074-2077 में खाता संख्या 51 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	<u>सरेडी</u>	<u>51</u>	<u>दलपतसिंह पुज</u> <u>जालमसिंह राजस्थान</u> <u>सा. देहघातेडा</u>	<u>दलपतसिंह पिता जालमसिंह</u> <u>राजस्थान (सा. देहघातेडा)</u>


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
करेड़ा (भीलवाड़ा)
दिनांक:-

क्रमांक/न्यायालय /2021

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री



उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
करेड़ा (भीलवाड़ा)